

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गए प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
17	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	आवेदक संस्थान महाप्रबंधक म.प्र.जल निगम मर्यादित ईकाई दमोह के Online प्रस्ताव FP/MP/PIPELINE/145895/2021 में वन मंडल अधिकारी नौरादेही (व.प्रा.) सागर द्वारा प्रस्ताव के Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल नौरादेही (व.प्रा.) सागर के गेप परिक्षेत्र ज्ञापन के वन कक्ष क्रमांक RF-131, 132, 135, 137, 141 एवं PF-218, 130, 133, 134, 135 में RoW के अंतर्गत पानी की पाईप बिछाने हेतु प्रभावित रकवा 0.67985 हेक्ट. वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा। साथ प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल द्वारा जारी अनुमति में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

तिथि:- 3.9/05/2022

स्थान:- सागर

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर